संख्या-185/2017/3388/26-3-2017

प्रेषक,

रवि शंकर मिश्र
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
जनजाति विकास,
उ0प्र0, लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊः दिनांकः 27 दिसम्बर 2017

विषयः-चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में अनुदान संख्या-81 के लेखाशीर्षक-2225-02-796-03-मुख्यालय अधिष्ठान के अन्तर्गत पुनर्विनियोग के माध्यम से धनराशि की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशालय, जनजाति विकास के पत्र-251/ज.जा.वि./लेखा/2017-18, दिनांक-13.11.2017 एवं पत्र संख्या-291/ज.जा.वि./लेखा/2017-18 दिनांक-07.12.2017 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में अनुदान संख्या-81 के लेखाशीर्षक 2225-02-796-03 मुख्यालय अधिष्ठान, 05-एकीकृत जनजातीय विकास परियोजना का क्रियान्वयन, 06-जिला कार्यालय का जनजातीय विकास सम्बन्धी अधिष्ठान तथा 08-अनुसूचित जनजातियों के विद्यार्थियो के लिये छात्रावास का संचालन कार्यक्रम में कुल सम्भावित बचत 01-वेतन में रूपया-21.15 लाख 03-मंहगाई भत्ता में रूपया-1.00 लाख तथा 06-अन्य भत्ते रूपया-1.66 लाख कुल रूपया-23.81 लाख (रूपया तेईस लाख इक्यासी हजार मात्र) की धनराशि की वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष प्रदान करते हैं-

(1)-उक्त स्वीकृति धनराशि का व्यय उसी मद में किया जाएगा, जिसके लिए स्वीकृति दी जा रही है। किसी प्रकार की विचलन की स्थिति में आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।

(2)-स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि पूर्व वर्षों में स्वीकृत की गयी कोई धनराशि पी0एल0ए0/बैंक/डाकखानों/डिपाजिट आदि खातों में अवशेष जमा नहीं है।

(3)-उक्त धनराशि इस शर्त के साथ निर्गत की जा रही है कि इस सम्बन्ध में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों/वित्तीय नियमों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(4)-उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण पत्र नियमानुसार महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद तथा शासन को ससमय उपलब्ध कराया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

2- उपर्युक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के अनुदान संख्या-81 के अंतर्गत लेखाशीर्षक-''2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गो का कल्याण-02-अनुसूचित जनजातियों का कल्याण-796-जनजातीय क्षेत्र उपयोजना-03-मुख्यालय अधिष्ठान के नामें डाला जायेगा तथा व्यय संलग्न प्रपत्र बी0एम0-09 के स्तम्भ-1 में उल्लिखित लेखाशीर्षक में उपलब्ध बचतों से पुनर्विनियोग कर वहन किया जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-3-1598/दस-2017,दिनांक-22.12.2017 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय

रवि शंकर मिश्र
अनु सचिव

पृ0संख्या-185/2017/3388/(1)/26-3-2017 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार,(लेखा एवं हकदारी)प्रथम एवं द्वितीय उ0प्र0,इलाहाबाद।
2- महालेखाकार,(लेखा परीक्षा)प्रथम एवं द्वितीय, उ0प्र0,इलाहाबाद ।
3- निदेशक, स्थानीय निधि लेखापरीक्षा विभाग, उ0प्र0इलाहाबाद।
4- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3
6- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 (दो अतिरिक्त प्रतियों सहित)
7- गार्ड फाइल ।

आज्ञा से

रवि शंकर मिश्र
अनुसचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

प्रपत्र बी0एम0–9 भाग–1

पुर्नविनियोग के लिए आवेदन/स्वीकृति (संदर्भ बजट मैनुअल का प्रस्तर–158)

अनुदान संख्या–81– समाज कल्याण (जनजाति विकास विभाग) वित्तीय वर्ष 2017–18 (रू0 लाख में)

निम्नलिखित निधियों से प्रस्तावित संकमण						निम्नलिखित निधियों में प्रस्तावित संकमण					
लेखाशीर्षक–15 डिजिटल कोड में	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान/विनियोग	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध बचत	संकमित की जाने वाली धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संकमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संकमण के पश्चात शेष अनुदान/विनियोग (2–5)	लेखाशीर्षक–15 डिजिट में	वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध अनुदान/विनियोग	वित्तीय वर्ष में प्रत्याशित कुल व्यय	संकमण हेतु प्रस्तावित धनराशि (9–8)	वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित संकमण की धनराशि	संकमण के पश्चात उपलब्ध अनुदान/विनियोग (8+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2225–02–796–05 2225–अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गो के कल्याण–02–अनुसूचित जनजातियों का कल्याण–796–जनजातीय क्षेत्र उपयोजना–05–एकीकृत जनजाति विकास परियोजना का कियान्वयन						2225–अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गो का कल्याण–02–अनुसूचित जनजातियों का कल्याण–796–जनजातीय क्षेत्र उपयोजना–03–मुख्यालय अधिष्ठान					
01–वेतन	9.98	9.98	9.98	9.98	0	01–वेतन	104.33	125.48	21.15	21.15	125.48
03–मंहगाई भत्ता	0.60	0.60	0.60	0.60	0	03–मंहगाई भत्ता	6.26	7.26	1.00	1.00	7.26
06–अन्य भत्ते	0.80	0.80	0.80	0.80	0	06–अन्य भत्ते	8.43	10.09	1.66	1.66	10.09
योगः–	**11.38**	**11.38**	**11.38**	**11.38**	**0**	योगः–	**119.02**	**142.83**	**23.81**	**23.81**	**142.83**
2225–अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गो के कल्याण–02–अनुसूचित जनजातियों का कल्याण–796–जनजातीय क्षेत्र उपयोजना–06–जिला कार्यालय का जनजाति विकास सम्बन्धी अधिष्ठान											
01–वेतन	14.47	4.90	4.90	4.90	9.57						
03–मंहगाई भत्ता	0.87	0.40	0.40	0.40	0.47						
06–अन्य भत्ते	1.16	0.86	0.86	0.86	0.30						
योग	**16.50**	**6.16**	**6.16**	**6.16**	**10.34**						

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

2225–02–796–08 2225–अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण–02–अनुसूचित जनजातियों का कल्याण–796–जनजातीय क्षेत्र उपयोजना–08 अनुसूचित जनजाति का छात्रावास 01–वेतन	10.27	6.27	6.27	6.27	4.00						
योगः–	**10.27**	**6.27**	**6.27**	**6.27**	**4.00**						
महायोग	**38.15**	**23.81**	**23.81**	**23.81**	**14.34**	**महायोगः–**	**119.02**	**142.83**	**23.81**	**23.81**	**142.83**

1– स्तम्भ–3 में उपलब्ध बचत का कारण निम्नानुसार है :–

क. प्रश्नगत योजनाओं में आवश्यकतानुसार धनराशि व्यय करने के उपरान्त बचत हो रही है।

2–स्तम्भ–8 में उल्लिखित उपलब्ध अनुदान के सापेक्ष स्तम्भ–9 में अंकित अधिक व्यय निम्नलिखित कारणों से है :–

प्रश्नगत योजना में मांग न होने के फलस्वरूप अधिक व्यय है परन्तु मानक मदों में बजट प्राविधान रूपया–104.33 लाख, रू0–6.26 लाख, रू0–8.43 लाख ही है।

3–प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पुर्नविनियोग में उ0प्र0 बजट मैनुवल के प्रस्तर–150,151,154 व 155 में निर्दिष्ट प्रतिबंधों/परिसीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है।

संख्या–आर0ई0–1598दस–2017, दिनांक–22 दिसम्बर–2017

सेवा में,

महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी प्रथम)
उ0प्र0, इलाहाबाद।

(राम रतन)
उपसचिव
वित्त विभाग।

(रवि शंकर मिश्र)
अनु सचिव,
समाज कल्याण विभाग।

पृ0संख्या– 85 /2017/आर– 3388 (1)/26–3–2017 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– महालेखाकार,(लेखा एवं हकदारी)प्रथम एवं द्वितीय उ0प्र0,इलाहाबाद ।
2– महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम एवं द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद
3– निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग उ0प्र0इलाहाबाद
4– निदेशक, जनजाति विकास, उ0प्र0, लखनऊ।
5– कोषाधिकारी, जवाहर भवन,लखनऊ।
6–वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–3
7–वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–1 (दो अतिरिक्त प्रतियों सहित)
8–निदेशक, एन0आई0सी0योजना भवन, लखनऊ।
9– समाज कल्याण (बजट प्रकोष्ठ)
10– गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(रवि शंकर मिश्र)
अनु सचिव

p

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।